भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
केन्द्रीय पर्यावरण भवन
Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shanker Nagar
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPC051/2009-BHO/ 3598, दि0- 17-8-2011,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषय: अनूपपुर जिले के अन्तर्गत ग्राम–गुवारी, लहरपुर–मुर्रा एवं चांदपुर की 37.875 हे0 राजस्व वनभूमि थर्मल पावर परियोजना के निर्माणार्थ सहा0 प्रबंधक, मोजर वेयर पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि0 अनूपपुर को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीसी 051/2009–बीएचओ/1032 दिनांक 04/06/2010
2 अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध),एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–4/14/33/09/10–11/विद्युत/3814 दिनांक 23/11/2010, समसंख्यक पत्रांक 2194 दिनांक 20/07/2011 एवं 2372 दिनांक 3/8/2011
3. Officer on Special Duty, MoEF (Ad-hoc CAMPA), MoEF, New Delhi letter dated 08/08/2011

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्र क्रमांक एफ–4/14/33/09/10–11/विद्युत/2655 दिनांक 30/11/2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 37.875 हे0 राजस्व वनभूमि थर्मल पावर परियोजना के निर्माणार्थ सहा0 प्रबंधक, मोजर वेयर पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि0 अनूपपुर को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 38.028 हे0 गैर वनभूमि (सर्वे नं0 पी–94 ए, करपा, तह0–पुष्पराजगढ़, जिला–अनूपपुर) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।
स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

....2

3. उक्त व्यपवर्तन के अतिरिक्त परियोजना हेतु भविष्य में कोयले की आपूर्ति हेतु अलग से वनभूमि के व्यपवर्तन की कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी ।

4. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

6. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय

(ए0के0 राणा)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0री0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अनूपपुर, जिला–अनूपपुर, मध्यप्रदेश ।
4. सहायक महाप्रबंधक, मोजर बेयर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्पलेक्स, ...तमा रोड, अनूपपुर, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(ए0के0 राणा)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

विद्युत

17/8/11